UPUN010032292026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1365 / 2026

फूलमती उम्र 65 वर्ष पत्नी गनेश प्रसाद निवासिनी ग्राम हयासपुर थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव ––––––अभियुक्ता।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।

––––––विपक्षी।

02.06.2026

अभियुक्ता फूलमती द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–168 / 2026, धारा–109(1),118(1),352,3(5) बी0एन0एस0 थाना–फतेहपुर चौरासी, जिला उन्नाव में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा अश्वनी कुमार ने इस आशय की तहरीर थानाध्यक्ष फतेहपुर चौरासी को दी कि दिनांक 14.05.2026 को दिन में लगभग 4 बजे उसके मकान के सामने न्यायालय के आदेशानुसार नाप जोख की जा रही थी। उसके पिता ओमकार भी नाप जोख को देख रहे थे, तभी वहॉ पर गणेश, हुकम सिंह, फूलमती व अनुराग आ गये, जो रंजिशन गंदी–गंदी गाली देते हुए एक राय होकर जान से मारने की नियत से उसके पिता ओमकार के सिर मे कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसके पिता ओमकार लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गये, जिन्हें बेहोशी की हालत में निजी साधन से सामु0स्वा0 केन्द्र फतेहपुर चौरासी लाये, जहॉ मौजूद डाक्टर ने ओमकार की गम्भीर हालत देख हैलट कानपुर के लिए रिफर कर दिया गया। सूचना देने आया है। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है। उसको झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशविरा के आधार पर फर्जी व मनगढ़न्त घटना बनाकर दर्ज करायी गयी है। उसने किसी साथ मारपीट, व गाली गलौज जैसी घटना कारित नहीं की है। वह एक वृद्ध 65 वर्षीय महिला है जो अक्सर बीमार रहती है और अपने घर पर ही रहती है। वह चलने फिरने में असमर्थ है ऐसी स्थिति में किसी भी घटना को अंजाम नहीं दे सकती है। वह नपाई कार्य में कहीं नहीं गयी थी और न ही उसका किसी व्यक्ति से वाद विवाद हुआ था। वह कथित घटना के समय घटनास्थल पर नहीं थी। वह अपने घर पर मौजूद थी। बाद में पुलिस द्वारा दिनांक 18.05.2026 को उसको पकड़ कर जेल भेज दिया गया है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पहले न ही इस न्यायालय में, न ही माननीय उच्च

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.02 15:51:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय में कोई प्रार्थनापत्र दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। उक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है, प्रार्थिनी–अभियुक्ता फूलमती व सहअभियुक्त अनुराग द्वारा चोटहिल ओमकार को पकड़ा गया और सहअभियुक्त गणेश व हुकुम सिंह द्वारा कुल्हाड़ी से वार किये, जिससे उसकी राइट टेम्पोपैराइटल डिप्रेस्ड फ्रेक्चर हो गयी। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियुक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उसको रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्ता एक 65 वर्षीय बृद्ध व बीमार महिला है। वह घटना के समय अपने घर पर थी, वह चलने फिरने में असमर्थ है। उसके द्वारा कोई मारपीट या चोटहिल को पकड़ना सम्भव नहीं है। वह कथित घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। वह दिनांक 18.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। मजरूब ओमकार ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में अभियुक्ता द्वारा केवल पकड़ना बताया गया है। अभियुक्ता द्वारा किसी वस्तु से मारपीट करना नहीं बताया गया है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्ता को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता फूलमती की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–168/2026, धारा–109(1),118(1),352,3(5) बी0एन0एस0 थाना–फतेहपुर चौरासी, जिला उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1365/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा 50,000/– रूपये की दो प्रतिभू तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–02.06.2026

बृजपाल सिंह

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जेओ कोड यूपी 6552